

भारतसरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र / Nuclear Fuel Complex
CHSS अनुभाग / CHSS Section

दूरभाष/ Phone:040-27184747

ई-मेल/ E-mail : cao@nfc.gov.in

संदर्भRef: NFC/CHSS/01/2026/ 14-71

डाक - ईसीआईएल/ECIL POST

हैदराबाद/HYDERABAD-5000062

दिनांक Date: 29.5.26

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : CHS योजना के तहत समस्या-रहित उपचार का लाभ उठाने के लिए सभी CHSS लाभार्थियों के लिए समेकित दिशा निर्देश - संदर्भ।

Subject: Consolidated guidelines for all CHSS beneficiaries for availing hassle-free treatment under CHS scheme – Reg.

पुरुष की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (CHSS) का उद्देश्य सभी पात्र CHSS लाभार्थियों (सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों) को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। हाल ही में प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ लाभार्थियों को इस योजना के तहत उपचार का लाभ उठाने के दौरान या तो प्रक्रिया का पालन न करने के कारण या उनकी पात्रता के बारे में अज्ञानता के कारण लाभार्थियों पर परिहार्य तनाव और NFC प्रबंधन पर दावे प्रतिपूर्ति के अनुचित भार के कारण मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

The Contributory Health Service Scheme (CHSS) of DAE is aimed at providing quality health care to all eligible CHSS beneficiaries (both serving and retired). Of late it has come to the notice of Administration that some of the beneficiaries are facing issues while availing treatment under the scheme either due to non-compliance of the procedure or due to ignorance regarding their entitlements leading to avoidable stress to beneficiaries and undue load of reimbursement claims on the NFC management.

इसलिए प्रक्रियाओं के अनुपालन में एकरूपता सुनिश्चित करने और लाभार्थियों के लिए बिना कोई समस्या के स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, सीएचएसएस अनुभाग ने सभी सीएचएसएस लाभार्थियों के लाभ के लिए संलग्न अनुबद्ध में दिशा निर्देशों/सूचनाओं को समेकित किया है।

Hence in order to ensure uniformity in compliance with the procedures and create a hassle-free healthcare ecosystem for beneficiaries, CHSS section has consolidated the guidelines / information in the enclosed **Annexure** for the benefit of all CHSS beneficiaries.

सभी लाभार्थी कृपया सीएचएस योजना के तहत अनुपालन और समस्या-रहित उपचार के लिए दिशानिर्देशों पर ध्यान दें। All beneficiaries may kindly take note of the guidelines for compliance and for hassle-free treatment under the CHS scheme.


(जी. नवीन कुमार / G Naveen Kumar)

मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी
Chief Administrative & Accounts Officer

सभी संयंत्र/अनुभाग All Plants / Sections

सभी सूचनापट्ट /All Notice Boards

प्रतिलिपि Copy to :

1. मुख्य कार्यपालक, नाईस CE, NFC -सादर सूचनार्थ for kind information please.
2. सभी उप मुख्य कार्यपालक /परि.निदे.जेडसी (पी)/महा.प्रबं/क्षे.नि., हैक्षेक्रभंए /उप महा.प्रबं/प्रमुख/वरि.प्रबं.
/प्रबं/.उपप्रबं/.कार्या.प्रभारी/DCEs/ PD,ZC(P)/ GMs/RD,HRPSU/DGMs/Heads/SMs/Mgrs/DMs /OICs
3. प्रमुख,चिकित्सा प्रभाग, नाईस/Head, Medical Division
4. मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी ,नाईस /CA& AO, NFC
5. उप महा निरीक्षक, पऊवि, मुख्यालय/समादेष्टा,कै.औ.सु.ब.
DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF
6. महासचिव, नाईसऔ.का.संघ/ General Secretary, NFCIWU
7. अध्यक्ष, नाईसपर्य.कर्म.संघ/नाईस वैज्ञा.सहा.संघ/ नाईस अधिकारी संघ
President, NFCSSA/NFCSSA / NUFCA

सूचनार्थ प्रति/ Copy also for information to :

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, पखनि, हैदराबाद / CAO, AMD, Hyderabad
2. प्रशासनिक अधिकारी, टीआईएफआर, हैदराबाद / Administrative Officer, TIFR, Hyderabad
3. प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद / Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad
4. प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद / Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
5. प्राचार्य, आईसीएस-I/II, हैदराबाद / Principal, AECS-I/AECS-II, Hyderabad
6. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल, ईसीआईएल कैम्पस, हैदराबाद
Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad
7. आईआईडब्ल्यू, पऊवि, हैदराबाद/ IIW, DAE, Hyderabad
8. प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू(एम)शहरी कार्यालय, नाईस परिसर, हैदराबाद
Manager-Purchase, RPU (M) City Office, NFC Premises, Hyderabad
9. समन्वयक,सेवानिवृत्त,कर्मचारीसंगठन/ Coordinator, Retired Employees' Association

अनुलग्नक / ANNEXURE

1. सभी CHSS लाभार्थी इस योजना के तहत सुविधा का लाभ उठाने के लिए हर समय अपने वैध CHSS कार्ड, स्वास्थ्य पास बुक और वैध अभिनिर्देश पत्र (केवल सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के लिए) ले जाएंगे। यह लाभार्थी की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अपने CHSS कार्ड की डेटा की शुद्धता और वैधता सुनिश्चित करे।

All CHSS beneficiaries shall at all times carry their valid CHSS card, health pass book and valid referral letter (only for super specialty hospitals) to avail the facility under this scheme. It is the primary responsibility of the beneficiary to ensure the correctness of the data and validity of his / her CHSS card.

2. सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का दौरा करने के लिए वैध अभिनिर्देश पत्र एनएफसी / एएमडी चिकित्सा अधिकारी या किसी भी पैनल में शामिल क्षेत्रीय अस्पतालों (उस अस्पताल में आवश्यक उपचार की अनुपलब्धता के अधीन) से प्राप्त किया जा सकता है।

Valid referral letter for visiting super specialty hospitals can be obtained from either NFC / AMD medical officer or from any of the empanelled Zonal Hospitals (subject to non-availability of required treatment at that hospital).

3. अभिनिर्देश वैधता इस प्रकार है। Referral validity is as follows.

- i. ओपी अभिनिर्देश-पहला परामर्श इसके जारी होने के 7 दिनों के भीतर किया जाना है। पहले परामर्श के बाद, यह अन्य 2 परामर्शों के लिए या अभिनिर्देश जारी करने की तारीख से 30 दिनों तक जो भी पहले हो मान्य है।

OP referral – First consultation is to be done within 7 days of its issue. After 1st consultation, the same is valid for another 2 consultations or upto 30 days from the date of issue of referral whichever is earlier.

- ii. आईपी अभिनिर्देश इसके जारी होने की तारीख से 3 दिनों के लिए मान्य है।

IP referral is valid for 3 days from the date of its issue.

4. चूंकि एनएफसी ने सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में एचआईएमएस-II सॉफ्टवेयर तैनात किया है, इसलिए सभी अस्पतालों को लाभार्थी की पहचान को प्रमाणित करने के लिए अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान) या किसी भी रोगी या परिचर की वेबकैम फोटो प्राप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में, सभी लाभार्थियों से एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि वे इस प्रक्रिया में अस्पताल के कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। इसके अलावा, यदि किसी लाभार्थी को सीएचएसएस अनुभाग के साथ अपने बायोमेट्रिक को पंजीकृत करना है, तो वे किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच एपीओ सीएचएस, एनएफसी के कार्यालय में जाकर जल्द से जल्द ऐसा कर सकते हैं।

As NFC has deployed HIMS-II software at all empanelled hospitals, instructions have been issued to all hospitals to mandatorily obtain biometrics (thumb impression) or webcam photo of either Patient or the Attendant to authenticate the identity of the beneficiary. In this regard, all beneficiaries are hereby requested to kindly cooperate with the hospital staff in this process. Further if any beneficiary is yet to register their biometrics with the CHSS section, they may do so at the earliest by visiting the O/o APO CHSS, NFC between 9 am to 5 pm on any of the working days.

5. लाभार्थियों / परिचारकों को अस्पताल के बिलों को संसाधित करने के लिए एनएफसी को सक्षम करने के लिए अभिनिर्देश लेटर, डाक्टरी पर्ची, बिल और डिस्चार्ज सारांश पर अपने हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। सभी लाभार्थी कृपया अनुपालन के लिए इस पर ध्यान दें।

Beneficiaries / Attendants are required to **append their signatures** on referral letters, prescriptions, bills and discharge summary to enable NFC to process the Hospital bills. All beneficiaries may kindly take note of the same for compliance.

6. सीएचएस योजना का प्राथमिक उद्देश्य अपने सभी लाभार्थियों को **कैशलेस उपचार** प्रदान करना है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, अस्पताल द्वारा सीएचएसएस लाभार्थियों को पूरी तरह से क्रेडिट आधार (कैशलेस) पर पंजीकरण, परामर्श, जांच, प्रक्रियाएं, उपचार और फार्मसी सहित पूरे उपचार सुविधा प्रदान किया जाना है। इस संबंध में, सभी अस्पतालों को सख्त अनुपालन के लिए पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

The primary objective of CHS scheme is to provide **cashless treatment** to all its beneficiaries. As per the MoU, the entire treatment cycle including registration, consultation, investigations, procedures, treatment & pharmacy is to be extended by the Hospital fully on credit basis (cashless) to CHSS beneficiaries. Instructions in this regard, have already been issued to all hospitals for strict compliance.

7. **चिकित्सा आपातकाल** के मामले में, लाभार्थी किसी भी सूचीबद्ध अस्पतालों में जा सकते हैं और अस्पताल को केवल वैध सीएचएसएस कार्ड और स्वास्थ्य पास बुक उपलब्ध कराने पर क्रेडिट के आधार पर रोगी का इलाज करना आवश्यक है। हालांकि, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में आपातकालीन प्रवेश के मामले में, इस तरह के प्रवेश की तारीख से 48 घंटे के भीतर अभिनिर्देश पत्र जमा करने की आवश्यकता है।

In case of **medical emergency**, the beneficiaries may walk into any of the empanelled Hospitals and the Hospital is required to treat the patient on credit basis solely on production of valid CHSS card and health pass book. However, in case of emergency admission in a Super Specialty Hospital, the referral letter need to be submitted within 48 hours from the date of such admission.

8. अस्पतालों के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार, पैनेल में शामिल अस्पताल में लिए गए प्रत्येक उपचार के लिए, संबंधित अस्पताल **CGHS-2025 टैरिफ** के अनुसार सीधे एनएफसी को एक बिल प्रस्तुत करेगा। CGHS-2025 टैरिफ के तहत सूचीबद्ध नहीं की गई प्रक्रियाओं/जांच के लिए, अस्पताल एनएफसी को उनमें उल्लिखित **वैकल्पिक टैरिफ संरचना** के अनुसार चार्ज करेगा।

As per the MoU with the hospitals, for every treatment availed at the empanelled Hospital, the concerned Hospital shall raise a bill directly to NFC as per **CGHS-2025 tariff**. For procedures / investigations not listed under the CGHS-2025 tariff, the Hospital shall charge NFC as per the **alternative tariff structure** mentioned in the MoU.

CGHS टैरिफ में किसी विशेष जांच/प्रक्रिया को सूचीबद्ध किया गया है या नहीं, इस संबंध में पुष्टि प्राप्त करने के लिए अस्पताल को ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से हेड मेडिकल डिवीजन के कार्यालय से संपर्क करना आवश्यक है।

In case of clarification on whether a particular investigation / procedure is listed in CGHS tariff or not, the hospital is required to contact O/o Head Medical Division via email or over telephone for seeking confirmation in this regard.

तदनुसार, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या CGHS टैरिफ / एनएफसी, MoU में एक प्रक्रिया / उपचार सूचीबद्ध है, अस्पताल को उक्त प्रक्रिया / उपचार के लिए लाभार्थी से धन मांगने की बिल्कुल भी

आवश्यकता नहीं है और उपरोक्त संरचना टैरिफ के अनुसार क्रेडिट के आधार पर इसे विस्तारित करने की आवश्यकता है।

Accordingly, irrespective of whether a procedure / treatment is listed in CGHS tariff / NFC MoU, the hospital need not seek money from the beneficiary at all for the said procedure/treatment and is required to extend the same on credit basis as per aforementioned tariff structure.

9. CGHS-2025 टैरिफ में प्रक्रियाओं/उपचारों के लिए मूल पैकेज दर शामिल है। यदि कोई लाभार्थी उच्च लागत या आयातित प्रत्यारोपण/उपकरण चाहता है, तो लाभार्थी उसके लिए लिखित सहमति दे सकता है और अंतर राशि का भुगतान सीधे अस्पताल को कर सकता है जो गैर-प्रतिपूर्ति योग्य है।

The CGHS-2025 tariff covers the basic package rate for procedures / treatments. In case a beneficiary seeks a **high cost or imported implant / device**, the beneficiary may give written consent for the same and pay the difference amount directly to the Hospital which is non-reimbursable.

10. प्रक्रिया के अनुसार, रुपये 8.000/- से अधिक की प्रत्येक उच्च मूल्य की जांच / प्रक्रिया करने के लिए संबंधित अस्पताल प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, एनएफसी से **विशिष्ट अनुमोदन** प्राप्त करेगा। सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें।

As per the procedure, for conducting every high value investigation / procedure exceeding Rs. 8.000/-, the concerned hospital shall seek **specific approval** from Head Medical Division, NFC. All beneficiaries are requested to take note of the same.

11. लाभार्थियों की **वार्ड पात्रता** उनके वेतन स्तर के अनुसार है जो अस्पताल के पास उपलब्ध HIMS-II सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के लाभार्थी लॉग इन में परिलक्षित होता है। इसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

The **ward entitlement** of the beneficiaries is as per their pay level which is reflected in the HIMS-II software as available with the hospital and in the beneficiary log in of the software. The same is tabulated below for ready reference.

वेतन स्तर के अनुसार कर्मचारियों/सेवानिवृत्त की श्रेणी Category of employees / retirees as per Pay Level	पात्रता / Entitlement
स्तर 8 तक /Upto Level 8	4 beds in a room with common toilet / bathroom
स्तर 9 से 13A /Level 9 to 13A	2 beds in a room with attached toilet / bathroom
स्तर 14 और उससे अधिक Level 14 & above	Single bed AC accommodation as per availability in the referral hospital with attached toilet / bathroom.

यदि लाभार्थी अपनी इच्छा से उच्च वार्ड में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वे अस्पताल को लिखित सहमति प्रस्तुत करने और अंतर राशि का भुगतान सीधे अस्पताल को करने के बाद ही वार्डों की उपलब्धता के अधीन ऐसा कर सकते हैं जो गैर-प्रतिपूर्ति योग्य है।

In case the beneficiaries on their own wish to upgrade to a higher ward, they may do so subject to availability of wards only after submitting written consent to the hospital and paying the difference amount directly to the Hospital which is non-reimbursable.

12. अस्पताल को सभी OP और IP रोगियों को सभी **फार्मसी आइटमों** (एनएफसी वेबसाइट पर उपलब्ध सूची के अनुसार अस्वीकार्य आइटमों को छोड़कर) की आपूर्ति करने की आवश्यकता है और रोगी या उनके परिचर को दवाओं, सर्जिकल वस्तुओं, रक्त या रक्त घटकों आदि को खरीदने के लिए या तो अपने स्वयं के फार्मसी से या बाहर से निर्देशित नहीं करेगा।

The Hospital is required to supply all **pharmacy items** (except inadmissible items as per the list available on NFC website) to all OP and IP patients and shall not direct either the patient or their attendant to purchase the medicines, surgical items, blood or blood components etc either from their own pharmacy or from outside.

किसी भी फार्मसी आइटम की अनुपलब्धता के मामले में, अस्पताल लाभार्थी को एक अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एनएसी) जारी करेगा। अस्पताल द्वारा जारी एनएसी के साथ, लाभार्थियों को उक्त दवाओं को एकत्र करने के लिए एनएफसी आउटसोर्स फार्मसी से संपर्क करना आवश्यक है।

In case of non-availability of any pharmacy item, the Hospital shall issue a Non Availability Certificate (NAC) to the beneficiary. With the NAC issued by the Hospital, the beneficiaries are required to approach NFC outsourced pharmacy for collecting the said medicines.

हालांकि, सेवानिवृत्त लाभार्थियों के मामले में या आपातकालीन मामलों के लिए या सार्वजनिक छुट्टियों पर, उपरोक्त प्रक्रिया में इस हद तक ढील दी जाती है कि अस्पताल से एनएसी प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी या तो एनएफसी आउटसोर्स फार्मसी से उक्त दवा प्राप्त कर सकता है या उसे खरीद सकता है। किसी अन्य फार्मसी से खरीद पर प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत करें।

However, in case of retired beneficiaries or for emergency cases or on public holidays, the above procedure is relaxed to an extent that after obtaining NAC from the Hospital, the beneficiary may either collect the said medicine from NFC outsourced pharmacy or purchase the same from any other pharmacy and submit claim for reimbursement.

13. समझौता ज्ञापन के अनुसार, अस्पताल को सभी परामर्श, जांच, प्रक्रियाएं, उपचार उक्त अस्पताल में ही करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, इसकी अनुपलब्धता के मामले में, अस्पताल केवल प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग, एनएफसी के पूर्व अनुमोदन से रोगी को अन्य गैर-सूचीबद्ध केंद्र में भेज सकता है। इसके अलावा, **पैनल में शामिल अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वह आउटसोर्स जांच / प्रक्रिया के लिए भुगतान करे और भुगतान के लिए बिल एनएफसी को प्रस्तुत करे।** अस्पताल ऐसी आउटसोर्स जांच/प्रक्रियाओं के लिए लाभार्थी से नकदी की मांग नहीं करेगा।

As per MoU, Hospital is required to conduct all consultations, investigations, procedures, treatments in-house only. However, in case of non-availability of the same, the Hospital may refer the patient to other non-empanelled center for the same only with prior approval of Head, Medical Division, NFC. Further, it is responsibility of the **empanelled hospital to pay for the outsourced investigation / procedure** and submit bill to NFC for payment. Hospital shall not seek cash from the beneficiary for such outsourced investigations / procedures.

14. यदि लाभार्थी, पैनल में शामिल डॉक्टर के पर्चे और संबंधित अस्पताल से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर, अपनी पसंद के किसी भी नैदानिक केंद्र पर अपने खर्च पर जांच शुरू करना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने से पहले **एनएफसी चिकित्सा अधिकारी से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त** करनी चाहिए, अन्यथा प्रतिपूर्ति के लिए उनके दावे को समिति द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

In case the beneficiaries, based on the prescription of the empanelled doctor and Non Availability Certificate from the concerned Hospital, wish to undergo an investigation at their own expense at any of the diagnostic center of their choice, they must obtain **prior written permission from NFC medical officer** before doing so, else their claim for reimbursement would be summarily rejected by the committee.

15. सीएचएस योजना के तहत, सभी लाभार्थियों को अपने मुख्यालय में केवल सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का लाभ उठाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, **मुख्यालय के बाहर होने वाली अप्रत्याशित आपात स्थिति के मामले में**, लाभार्थी उपलब्ध दो विकल्पों में से किसी एक का सहारा ले सकता है।

Under the CHS scheme, all beneficiaries are required to avail health care facility only through empanelled hospitals at their Headquarters. However, in case of **unforeseen emergency occurring outside the headquarters**, the beneficiary may take recourse to either of the two options available.

- i. यदि उपलब्ध हो, तो अपने वैध CHSS कार्ड के साथ निकटतम पड़वि इकाई से संपर्क करें और अखिल भारतीय योजना के तहत संबंधित इकाई के सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से उपचार (केवल पहली बार) का लाभ उठाएं, बशर्ते कि पड़वि कार्यालय ज्ञापन संख्या 7/14/2022/IR&W/16519 दिनांक 29.12.2022 में सूचीबद्ध शर्तों को पूरा किया जाए और इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा विभाग, एनएफसी (rina@nfc.gov.in) को दी जाए। बाद की किसी भी यात्रा के लिए, लाभार्थी को सभी चिकित्सा रिपोर्टों के साथ मुख्य चिकित्सा विभाग, एनएफसी से संपर्क करना होगा और इसके लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

Approach the nearest DAE unit, if available, with their valid CHSS card to avail the treatment (**first visit only**) through the concerned unit's empanelled hospitals under pan India scheme subject to fulfillment of conditions enlisted in DAE OM No. 7/14/2022/IR&W/16519 dated 29.12.2022 under intimation to Head Medical Division, NFC (rina@nfc.gov.in). For any subsequent visits, the beneficiary is required to approach Head Medical Division, NFC with all medical reports for seeking prior approval for the same.

- ii. भुगतान के आधार पर उपचार का लाभ उठाने और इसके लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए निकटतम अस्पताल (सरकारी या निजी) में से किसी से भी संपर्क करें, बशर्ते कि प्रमुख चिकित्सा विभाग (rina@nfc.gov.in)/ APO CHSS, NFC (apochss@nfc.gov.in) को ई-मेल/पत्र के माध्यम से 96 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से ऐसे उपचार का लाभ उठाने के बारे में लिखित सूचना दी जाए।

Approach any of the nearest hospital (government or private) to avail the treatment on payment basis and claim reimbursement for the same subject to furnishing of written intimation to Head Medical Division (rina@nfc.gov.in)/ APO CHSS, NFC (apochss@nfc.gov.in), either via email / letter, about availing such a treatment within 96 hours mandatorily without fail.

16. परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 7/15/2012/IR&W/5843 दिनांक 28/04/2017 ने पठवि अस्पतालों के बाहर प्रसूति शुल्क की प्रतिपूर्ति को बंद कर दिया है, जहां CHSS आपातकालीन मामलों (उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होने के लिए) को छोड़कर स्वयं या अभिनिर्देश अस्पताल में सुविधा प्रदान करता है, जिसके लिए प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दरों के तहत स्वीकार्य है। संबंधित लाभार्थी कृपया इस पर ध्यान दें।

DAE vide OM No. 7/15/2012/IR&W/5843 dated 28/04/2017 has discontinued the reimbursement towards **confinement charges** outside DAE hospitals where CHSS provides facility itself or in referral hospital except in emergency cases (to be certified by the treating doctor) for which the reimbursement is admissible under CGHS rates. Concerned beneficiaries may kindly take note of the same.

17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कार्यालय ज्ञापन सं. 4924/2010/सीजीएचएस (आर एंड एच)/सीजीएचएस (पी) दिनांक 17.01.2011, लाभार्थियों को एम्बुलेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, बशर्ते कि, As per Ministry of Health and Family Welfare OM No. 4924/2010/CGHS(R&H)/CGHS(P) dated 17.01.2011, Ambulance charges are reimbursable to the beneficiaries provided that,

- i. उपचार करने वाला डॉक्टर लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि किसी अन्य माध्यम से रोगी की यात्रा से निश्चित रूप से रोगी के जीवन को खतरा होगा या उसकी स्थिति को काफी हद तक बढ़ा देगा और
The treating doctor certifies in writing that conveyance of patient by any other mode would definitely endanger the patient's life or would grossly aggravate his / her condition and ,
- ii. यात्रा उसी शहर के भीतर की जाती है।
That the journey is undertaken within the same city.